

संख्या- 1804 /15-7- 2003-168 471/ 2003

प्रश्न,

एस०पी० गुप्ता,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा 878 अनुभाग

तखतक: दिनांक: 30 अगस्त, 2003

विषय:- तक्षशिला पब्लिक स्कूल बिजलीपुरा अन्टा शाहजहाँपुर को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

अर्थात्,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कठिन का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में उक्त राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रातिबंधों के अधीन अनापत्ति नहीं है:-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०मा० शिक्षा परिषद द्वारा संघानित विद्यालयों में विभिन्न बक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान को माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बीसक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/बीसक फार दि. उपर्युक्त स्कूल राष्ट्रीय फिलेड उच्चशिक्षा नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र०मा० शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्यसरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।

- 15। संस्था/शैक्षिक एवं शिक्षणालय कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 16। कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 17। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 18। विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकाओं में रखा जायेगा ।
- 19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबंध यह भी होगा कि विद्यालय में प्रशिक्षित अध्यापक तैनात किये जायेंगे ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की बूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापूर्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भ्रष्टीय,

। शिव प्रकाश गुप्त ।
संयुक्त सचिव ।

पुं०संख्या एवं दिनांक तैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, बरेली ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहापुर ।
- 4- निरीक्षक, आंगण भारतीय विद्यालय 3090, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, तक्षशिला पब्लिक स्कूल बिजनीपुरा अन्टाशाहजहापुर ।
- 6- गार्ड बुक ।

Manu
Manager

Takshashila Public School
ANTA SHAHJAHANPUR PH.: 224555

Roj Kumar

आज्ञा से,
। शिव प्रकाश गुप्त ।
संयुक्त सचिव ।

Principal
Takshashila Public School
Anta Shahjahanpur